7

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

ज्ञापन

क्रमांक 84 /1424/एक(3)/70 भोपाल, तारीख 10 फरवरी, 1971।

प्रति,

शासन के समस्त विभाग

अध्यक्ष, राजस्व मंडल

समस्त संभागीय आयुक्त

समस्त विभागाध्यक्ष

समस्त जिलाध्यक्ष,

मध्य प्रदेश।

विषय :- आयुक्त अनुसूचित जाति/जनजाति व्दारा सेवा प्रकरणो से सम्बन्धित शिकायतो की जाच।

==x==

उपर्युक्त जातियो के शासकीय सेवा मे प्रतिनिधित्व के विषय पर राज्य शासन व्दारा समय समय पर आदेश एवं अनुदेश प्रसारित किये गये है। जैसा कि आपको विदित ही है संविधान मे आयुक्त (जो इसके लिये विशेष अधिकारी है) अनुसूचित जाति/ जनजाति को इन जातियो के कर्मचारियो से सम्बन्धित प्रकरणो की छान बीन करने का अधिकार दिया गया है लेकिन शासन के ध्यान मे यह बात लाई गई है कि कही कही शासकीय अधिकारियो व्दारा शिकायतो की जाच मे आयुक्त को पूर्ण सहयोग नही दिया जाता। अतः समस्त सम्पर्क अधिकारियो एवं सम्बन्धित अधिकारियो को शासन व्दारा यह स्पष्ट किया जाता है कि आयुक्त अनुसूचित जाति / जनजाति को प्राप्त शिकायतो को जाच के लिये उन्हें यथा सम्भव पूर्ण सहयोग दिया जाये और जाच के सम्बन्ध मे जो भी जानकारी वह मांगे उन्हे अविलम्ब दी जाये। शासन व्दारा जारी किये गये आदेशो का दृढ़ता पूर्वक पालन कराने के उद्देश्य से सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक 9866/1468-1(3)/68 दिनांक 23मई, 1968 व्दारा सम्पर्क अधिकारी (Liaison officer) नियुक्त करने के सम्बन्ध मे आदेश पूर्व मे ही जारी किये जा चुके है।

Sd/- 10.2.71

(यू० वि० गर्दे)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

=2=